

राजस्थान सरकार  
पर्यटन विभाग

क्रमांक : प.2 (1) पर्यटन/2020


जयपुर, दिनांक : 31/05/2020

- : अधिसूचना :-

राजस्थान पर्यटन इकाई नीति-2015 की कार्यशील अवधि दिनांक 31.05.2020 के पश्चात आगामी दो वर्ष के लिए दिनांक 31.05.2022 अथवा नवीन पर्यटन इकाई नीति तैयार होने, जो भी पहले घटित हो, तक बढ़ाई जाती है।

यह अधिसूचना माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन (आई.डी. संख्या CMO/F2000/548 दिनांक 31.05.2020) के अनुसरण में जारी की जाती है।

आज्ञा से

  
(दिनेश कुमार जांगिड)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय पर्यटन मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय पर्यटन राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. प्रमुख शासन सचिव, रवायत शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. शासन सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. निदेशक राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित करावे।
14. आयुक्त, उद्योग, अप्रवासी भारतीय एवं ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, उद्योग भवन, राजस्थान, जयपुर।
15. समस्त जिला कलक्टर, .....
16. निदेशक, पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
17. नोडल अधिकारी, सिंगल विण्डों क्लियरेंस सिस्टम, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, उद्योग भवन, जयपुर।
18. उप निदेशक (ए.सी.पी.) पर्यटन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराना।
19. समस्त संबंधित पर्यटन सूचना केन्द्र/स्थापना केन्द्र, .....
20. समस्त महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, .....

संयुक्त शासन सचिव